कार्यालयः प्रधानाचार्य राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
पत्रांक–मे0का0अ0 / नीलामी / 2022 / 382 दिनांकः 15 मार्च 2022

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या गंजा परिसर में खेल मैदान में स्थित 87 वृक्षों की नीलामी दिनांक 22.12.2021 को दोपहर 12:00 बजे नीलामी की गयी जो पूर्ण न हो सकी। तद्क्रम में पुनः दिनांक 30.03.2022 को दोपहर 12:00 बजे राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गंजा, अयोध्या परिसर में निम्नलिखित विवरण के अनुसार कोविड–19 के दृष्टिगत सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) का पालन करते हुए नीलामी समिति द्वारा की जायेगी। प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अयोध्या के पत्र संख्या– 3146 / 22–1 दिनांक 14.03.2021 द्वारा किये गये उक्त वृक्षो के पुर्नमूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम विक्रय मूल्य रू0 64151.00 / – है। विस्तृत जानकारी कालेज की वेबसाइट www.asmcayodhya.ac.in पर उपलब्ध है। उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 (यथा संशोधित वर्ष 2000) के अर्न्तगत निर्धारित रू. 100.00 / – प्रति वृक्ष की दर से पातन अनुज्ञा शुल्क एवं रू. 76.00 / – प्रति टन की दर से अभिवाहन शुल्क तथा रू. 75.00 / – प्रति टन रजिस्ट्रेशन शुल्क वन विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा। नीलामी में अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीदाता के पक्ष में उक्त समस्त वृक्षो की बिक्री कर दी जायेगी।

क्र0	वृक्षो के नाम	वृक्षो की संख्या
1	सागौन	55
2	कंजी	28
3	शीशम	01
4	गूलर	01
5	आम	02
	कुल	**87**

बोली बोलने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा–

1. बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली जितने धनराशि में समाप्त होगी, उसे पूरा धन तीन कार्यदिवसों के अंदर कार्यालय में नगद रूप में जमा करना होगा।
2. नीलामी हेतु उर्पवर्णित निष्प्रयोज्य सामिग्री जहॉ है, जैसी है, जिस स्थिति में है, के आधार पर नीलामी की जायेगी। नीलामी से पूर्व सामिग्री की स्थिति के सम्बन्ध में पूर्ण संतुष्टि कर लेनी चाहिए बाद में कोई दावा मान्य नही होगा।
3. नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होते ही उच्चतम बोलीदाता को बोली की 10 प्रतिशत धनराशि (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) धरोहर धनराशि सम्मिलित करते हुए कैश के माध्यम से तत्काल कैशियर के पास जमा करनी होगी।
4. बिना धरोहर धनराशि जमा किये कोई भी व्यक्ति / फर्म नीलामी मे भाग नही ले सकेगा। फर्म अथवा सक्षम बोलीदाता द्वारा अधिकृत व्यक्ति मूल पहचान पत्र प्रस्तुत कर ही नीलामी में भाग ले सकेगें। फर्म की दशा मे फर्म

का पंजीकरण प्रमाण–पत्र तथा पावर आफ एटार्नी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अन्य कोई भी व्यक्ति नीलामी परिसर में प्रवेश नही कर सकेगा।

5. नीलामी समिति को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये नीलामी प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त कर सकेंगे।

6. नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ (समय 12 बजे दोपहर) हो जाने के पश्चात किसी भी फर्म/सक्षम व्यक्ति को नीलामी प्रक्रिया में शामिल नही किया जायेगा।

7. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी विवादित प्रकरण का न्याय क्षेत्र अयोध्या होगा।

8. परिसर में रखें गये या विज्ञापित किये गये सामान की नीलामी संचालित करने वाला अधिकारी बिना कारण बतायें नीलामी को रोकने के लिए अधिकृत होगा।

प्रधानाचार्य
राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
अयोध्या।